न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 76 / 2013

1 लाडकंवर पुत्री भूर सिंह पत्नी मेघसिंह जाति राजपूत निवासी मोरवा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं हाल निवासी सिरसला तहसील व जिला चुरू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सज्जना पत्नी जीवराज सिंह
2 महेन्द्र सिंह पुत्र जीवराज सिंह
3 मनोज कंवर पत्नी बिरजूसिंह
4 विक्रम सिंह पुत्र बिरजूसिंह
5 बहादूर सिंह पुत्र बिरजूसिंह
जाति समस्त राजपूत निवासी लोहसणा तहसील व जिला चुरू राज.।
6 मदन सिंह पुत्र दुर्जनशाल सिंह
7 डुंगरसिंह पुत्र दुर्जनशाल सिंह
8 गणपत पुत्र दुर्जनशाल सिंह
9 विनोद कंवर पुत्री दुर्जनशाल सिंह
10 धापा कंवर पुत्री दुर्जनशाल सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी कोटबांध तहसील व जिला चुरू राज.।
11 गुड्डी कंवर पत्नी जीवण सिंह
12 जड़ावा पुत्री जीवण सिंह
13 प्रेम कंवर पुत्री जीवण सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी भालेरी तहसील व जिला चुरू राज.।
14 हनुमान सिंह पुत्र बलजी
15 मन्ना कंवर पुत्री बलजी
समस्त जाति राजपूत निवासी रताणा तहसील व जिला चुरू राज.।
16 सुरेश सिंह पुत्र सोहन सिंह
17 उर्मिला पत्नी बालूसिंह
18 कृष्णा देवी पत्नी विक्रम सिंह

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

समस्त जाति राजपूत निवासी मोरवा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज. ।

19 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्त. अधि. 1955
अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 06.06.2013
बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी
लाड कंवर बनाम सज्जना वगै. मुकदमा नम्बर 358/2012
दावा बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बाबूलाल मील, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 11/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 358/2012 में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन गत खसरा नम्बर 14 तादादी 4 बीघा 10 बिश्वा खसरा नम्बर 138 तादादी 11 बीघा हाल खसरा नम्बर 46 रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 206/257 रकबा 0.13 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम मोरवा तहत तहसील सूरजगढ़ में

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

स्थित है। उक्त जमीन के बाबत अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के न्यायालय में एक वाद बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया की उक्त जमीन पहले वादीया के भाई श्योनारायण के नाम दर्ज थी उक्त श्योनारायण का अविवाहित रहते देहान्त हो चुका है। उक्त श्योनारायण के देहान्त होने पर उक्त जमीन जरिये इंतकाल नम्बर 144 के दिनांक 14.01.1974 को वादिया की माता अस्मान के नाम दर्ज हो गई। वादिया/अपीलान्ट अपनी माता अस्मान की पुत्री होने के कारण जायज वारिस है इस कारण जमीन जैर बहस में से अपीलान्ट का 1/5 का हक हिस्सा है। उक्त जमीन रेस्पोडेन्ट नम्बर 16 सुरेश के पिता सोहन के नाम गलत दर्ज हो गयी तथा बाद में सुरेश के नाम गलत दर्ज हो गयी। उक्त जमीन से वादिया को 1/5 हक हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 16 सुरेश सिंह ने जवाब के साथ एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी का दिनांक 06.06.2013 को गलत रूप से स्वीकार कर वादिया का दावा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मौजूदा प्रकरण में आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधान लागू नहीं होते अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा खातेदारी की घोषणा का किया था। कृषि भूमि में खातेदारी की घोषणा बाबत वादपत्र राजस्व न्यायालय में ही पेश किया जाता है। इस कारण दावा विधि द्वारा वर्जित नहीं था। वाद कारण का जो बिन्दू है वह दावा के समस्त तथ्यों के समूह से देखा जाता है। इस कारण विचारण न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा गलत रूप से खारिज किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 16 ने विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब दावा एवं आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र एक साथ पेश किये है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 16 ने जो आधार आदेश 07 नियम 11 जा.दी. में प्लीड किए है वे ही आधार जवाब दावा में प्लीड किये है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर दोनों पक्षकारों की साक्ष्य प्राप्त कर मैरिट पर निस्तारण किया जाना

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

चाहिए था। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने दावा को प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का दावा खारिज करने का आधार गलत दर्ज किया है। विचारण न्यायालय ने दावा खाारिज करने के लिए यह आधार दर्ज किया है कि विवादित जमीन वादिया की पैतृक जमीन नहीं है जबकि वादिया ने दावा में यह आधार दर्ज किया था कि विवादित जमीन पहले वादिया की माता अस्मान की थी इसलिए वादिया की माता के देहान्त होने पर वादिया का विवादित जमीन में 1/5 हक हिस्सा बनता है इसी मुताबिक काबिज काश्त है इस प्रकार विचारण न्यायालय ने गलत आधारों पर दावा खारिज किया है। विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी वादिया का दावा खारिज करने के लिए प्रिज्यूडिस था इस कारण वादिया ने उक्त प्रकरण विचारण न्यायालय के न्यायालय से अन्य न्यायालय में ट्रांसफर करवाने के लिए जिला कलेक्टर के न्यायालय में दिनांक 08.05.2013 को ट्रांसफर प्रार्थना पत्र भिजवाकर उक्त आशय का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.05.2013 का पेश कर दिया था जो शामिल पत्रावली करके विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण में दिनांक 09.05.2013 से आगे की तारीख वास्ते आदेश दिनांक 06.06.2013 नियम की थी अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में न्याय की निष्पक्ष उम्मीद नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र पेश कर रखा था उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने वादिया/अपीलान्ट का दावा खारिज करने में कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित आराजियात मृतक श्योनारायण सिंह की स्व. अर्जित भूमियां थी। श्योनारायण सिंह अविवाहित था व उसकी मृत्यु पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण उसकी माता अस्माना के नाम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार दर्ज हो गया इससे काफी अर्सा पूर्व ही हिन्दू उत्तराधिकार अधि. लागू हुआ उसके पूर्व ही वादिया व उसकी सभी बहिनों की शादियां हो चुकी थी वादिया की वर्तमान में उम्र 84 साल है किन्तु वादिया ने दावे व शपथ पत्र में अपनी उम्र दर्ज नहीं की है। वादिया की शादी आज से

अनिल कुमार RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

65 साल पूर्व हो चुकी है। वादग्रस्त आराजियात का खातेदार शुरू से लेकर मृ. श्योनारायण सिंह ही था। वादिया के पिता के नाम वादग्रस्त आराजियात कभी नहीं रही इस कारण वादिया का वाद बार्ड बाई लॉ होन से खारिज होने योग्य है। मृ. अस्माना ने वादग्रस्त आराजियात का दानपत्र प्रतिवादी नम्बर 16 के पिता सोहन सिंह के नाम अस्माना ने सोहन सिंह की सेवाओं से खुश होकर दिनांक 02.01.74 को दानपत्र विधिवत रूप से लिखवाकर उपपंजीयक चिड़ावा के यहां सत्यापित करवा दिया। जब तक वादिया उक्त दानपत्र को दिवानी अदालत से रद्द नही करवा लेती उसके दावा पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार मृतक श्योनारायण सिंह था। श्योनारायण सिंह अविवाहित फौत होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनूसार नामान्तकरण उसकी माता अस्माना के नाम दर्ज किया गया एवं अस्माना ने रजिस्टर्ड दानपत्र के द्वारा उक्त भूमि सोहनसिंह के नाम रजिस्टर्ड दानपत्र के द्वारा नाम करवा दी। विवादित आराजियात कभी भी वादिया के पिता के नाम नहीं होने से वादिया की पैत्रिक सम्पति नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादकरण के अभाव में वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित मानकर आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात मृतक श्योनारायण सिंह की स्व. अर्जित भूमियां थी। श्योनारायण सिंह अविवाहित था व उसकी मृत्यु पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण उसकी माता अस्माना के नाम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार दर्ज हो गया वादग्रस्त आराजियात का खातेदार शुरू से लेकर मृ. श्योनारायण सिंह ही था। मृ. अस्माना ने वादग्रस्त आराजियात का दानपत्र प्रतिवादी नम्बर 16 के पिता सोहन सिंह के नाम अस्माना ने सोहन सिंह की सेवाओं से खुश होकर दिनांक 02.01.74 को दानपत्र विधिवत रूप से लिखवाकर उपपंजीयक चिड़ावा के यहां सत्यापित करवा दिया। श्योनारायण सिंह अविवाहित फौत होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार नामान्तकरण उसकी माता अस्माना के

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नाम दर्ज किया गया एवं अस्माना ने रजिस्टर्ड दानपत्र के द्वारा उक्त भूमि सोहनसिंह के नाम रजिस्टर्ड दानपत्र के द्वारा नाम करवा दी।

यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजियात कभी भी वादिया के पिता के नाम नहीं रही है किन्तु श्योनारायण सिंह फौतगी के उपरांत श्योनारायण सिंह की विरासत अकेले माता अस्माना के नाम दर्ज नहीं होकर श्योनारायण की पांच बहिनों का विरासत हक होने का कथन कर वादी अपीलान्ट ने वाद प्रस्तुत किया है। विरासत के संदर्भ में हक अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के संदर्भ में वाद एवं जवाब के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायलय ने विधि प्रकिया अनुसार गुणावगुण पर निर्णय नहीं कर आदेश 07 नियम 11 के तहत वाद वादी खारिज कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर